बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पत्रांक— 1007 /पटना, दिनांक— 12-7-12

विषय— **उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित संकल्पों/ निर्णयों/ प्रोत्साहनों/ अधिसूचनाओं के स्पष्टीकरण हेतु समिति का गठन।**

उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित संकल्पों/ निर्णयों/ प्रोत्साहनों/ अधिसूचनाओं/परिपत्रों के स्पष्टीकरण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, जो निम्न प्रकार होगा :—

1—	विकास आयुक्त, बिहार, पटना—	अध्यक्ष
2—	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
3—	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
4—	प्रधान सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
5—	प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
6—	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
7—	प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना—	सदस्य
8—	प्रबंध निदेशक, बिआडा, पटना—	सदस्य
9—	निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना—	सदस्य सचिव

समिति राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा निर्गत राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/निर्णयों/प्रोत्साहनों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण देने के लिए सक्षम होगी। साथ ही समिति द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति—2011 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जो अधिसूचनाएँ निर्गत की गई है, उनकी व्याख्या/स्पष्टीकरण आवश्यकता पड़ने पर करेगी, जो सभी विभागों को मान्य होगा। तदुपरांत व्याख्या/स्पष्टीकरण से संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचनाएँ निर्गत किए जायेंगे।

समिति को यह अधिकार होगा कि जिन मामलों में वह उचित समझे कि व्यवसाय/उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि एवं विषय से संबंधित अन्य किसी पदाधिकारी या विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो समय—समय पर समिति की बैठक में उन्हें आमंत्रित कर उनका पक्ष प्राप्त कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आलोक कुमार सिन्हा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।